भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. 192

दिनांक 23 दिसम्बर, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

निर्यातकों को प्रोत्साहन देने के लिए उठाए गए कदम

***192 श्री एस. कल्याणसुन्दरम :**

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क): क्या सरकार इस विचार से सहमत है कि भारत को न केवल राजकोष को मजबूत करने बल्कि निर्यात उन्मुख उद्योगों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए भी अधिक निर्यात की आवश्यकता है;

(ख): यदि हां, तो सरकार द्वारा निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग): यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"निर्यातकों को प्रोत्साहन देने के लिए उठाए गए कदम" के संबंध में दिनांक 23 दिसम्बर, 2022 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 192 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क): जी हां। निर्यात देश के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निर्यात उन्मुख उद्योग विदेशी मुद्रा के एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं और सरकार घरेलू और निर्यात उन्मुख उद्योगों दोनों हेतु स्थिर और सुविधाजनक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने हेतु पर्याप्त उपाय करती है।

(ख): सरकार ने निर्यातकों को प्रोत्साहन देने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) विदेश व्यापार नीति (2015–20) 31.03.2023 तक बढ़ा दी गई है।

(ii) पूर्व एवं पश्च शिपमेंट रुपया निर्यात क्रेडिट पर ब्याज समकरण स्कीम को 31.03.2024 तक बढ़ाया गया है।

(iii) निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस) और बाजार अभिगम पहल (एमएआई) स्कीम जैसी स्कीमों के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

(iv) श्रम उन्मुख वस्त्र निर्यात के लिए राज्य और केंद्रीय लेवी और करों में छूट (आरओएससीटीएल) स्कीम 07.03.2019 से कार्यान्वित की गई है।

(v) निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) स्कीम 01.01.2021 से कार्यान्वित की गई है।

(vi) व्यापार को सुविधाजनक बनाने और निर्यातकों द्वारा मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) के उपयोग को बढ़ाने के लिए उद्गम प्रमाणपत्र के लिए सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है।

(vii) प्रत्येक जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों/सेवाओं की पहचान करके, इन उत्पादों/सेवाओं का निर्यात करने में आने वाली अडचनों को दूर करके और जिले में रोजगार सृजित करने के लिए स्थानीय निर्यातकों/विनिर्माताओं को सहायता प्रदान करके 570 जिलों में जिला निर्यात योजना तैयार की गई है।

(ग): उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

*****